

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-2019 राँची, दिनांक- 21.10.2019

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्तू राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:- सचिवालय अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों के लिये Computer उपकरण, प्रिंटर, स्कैनर, लैपटॉप इत्यादि के क्रय हेतु रु. 20,89,179/- (रुपये बीस लाख नवासी हजार एक सौ उन्नासी) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति में संशोधन के संबंध में।

प्रसंग- विभागीय पत्रांक- 5/ले.सा.-06-11/2019 ज.स.-07/19-20 प्र.स्वी. दिनांक 27.06.2019

आदेश-स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु विभागीय पत्रांक- 5/ले.सा.-06-11/2019 ज.स.-07/19-20 प्र.स्वी. दिनांक 27.06.2019 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश निर्गत है।

उपरोक्त प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट-I के क्रमांक 03 के सम्मुख स्तम्भ 03 में अंकित 'Laptop (Lenovo) V 330)' के स्थान पर 'Laptop with 4GB RAM & 1 TB HDD' के रूप में संशोधित किया जाता है।

2. प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न परिशिष्ट-I के स्तम्भ 03 में वर्णित 'उपकरणों का विवरण' में अंकित समस्त Model के नाम को विलोपित किया जाता है।
3. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं.-5/ले.सा.-06-11/2019 ज.स.-07/19-20 प्र.स्वी. दिनांक 27.06.2019 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
4. पूर्व में निर्गत उक्त स्वीकृत्यादेश की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
5. इसपर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-20 4 (4) राँची, दिनांक- 21.10.19

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ / वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-20 4 (4) सरकार के संयुक्त सचिव राँची, दिनांक- 21.10.19

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-20 4 (4) राँची, दिनांक- 21.10.19

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/ उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-20 4 (4) राँची, दिनांक- 21.10.19

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित। कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल सं0-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक-7 वि.शा./ मु. राँची-05-12/2019 - 55/19-20 4 (4) राँची, दिनांक- 21.10.19

प्रतिलिपि: माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार साह)

सरकार के संयुक्त सचिव